

कार्यालय , उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।

पत्रांक:- 2059 / एफ-6 / यूपीआरआरडीए / 2004-05 दिनांक: 20/8/10  
सेवा में,

सहायक महा प्रबंधक,  
स्टेट बैंक आफ इण्डिया,  
जवाहर भवन , लखनऊ।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रशासनिक एवं यात्रा व्यय मद हेतु साख-सीमा का निर्गमन।  
महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार पीआईयूज को उनके सम्मुख कालम सं० 4 में अंकित साख-सीमा के अनुसार कुल रू० 73.83838 लाख की साख सीमा आबंटित की जा रही है। उक्त निर्गत साख-सीमा दिनांक 31.03.2011 तक मान्य होगी। कृपया निर्धारित सीमा के अन्तर्गत बचत खाता सं० 10616665816 से नियमानुसार भुगतान कराने का कष्ट करें।

(नरेन्द्र कुमार )  
वित्त नियंत्रक

उ०प्र०ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

(संजीव कुमार )

मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
उ०प्र०ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संलग्न सूची के अनुसार ,अधिशाली अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उ०प्र० को निम्न निर्देश के साथ कि:-
  - (अ) धनराशि के भुगतान /आहरण में वित्तीय नियमों तथा भारत सरकार, उ०प्र० शासन व इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों/शासनादेशों एवं भारत सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक मद के एकाउन्ट मैनुवल का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाएगा। कन्टिन्जेन्सी का व्यय अधीक्षण अभियन्ता के सुपरविजन में नियमानुसार किया जायेगा।
  - (ब) साख सीमा का उपयोग कार्यालय व्यय व यात्रा व्यय में कमशः 2:1 के अनुपात में किया जायेगा।
  - (स) संलग्न सूची के अनुसार निर्गत साख सीमा के सापेक्ष किसी भी सम्पत्ति का सृजन नहीं किया जा सकेगा एवं साख सीमा का व्यय एकाउन्टिंग मैनुवल के अनुसार करना सुनिश्चित करें।
  - (द) मासिक लेखा माह समाप्ति के अगले माह की 5 तारीख तक एकाउन्टिंग मैनुवल के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर अभिकरण कार्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  - (य) वर्ष 2005.06 से अब तक अवमुक्त साख सीमा एवं उक्त साख सीमा को मिलाकर जो भी साख सीमा अवमुक्त की गई है वह फेज-3 विश्व बैंक/ फेज-4, फेज-5 , फेज-6 व फेज-7 के वर्कलोड के सापेक्ष है। अतः कन्टिन्जेन्सी मद में व्यय में मितव्ययता बरती जाय। नव गठित पीआईयू को आबंटित साख सीमा का समायोजन नव गठित पीआईयू को आबंटित किए जाने वाले वर्कलोड से किया जायेगा। उपरोक्तानुसार आबंटित साख सीमा स्वीकृत वर्कलोड के सापेक्ष है यदि उपरोक्त फेजों में पीआईयू द्वारा स्वीकृत वर्कलोड से कम कार्य कराया जायेगा तो उक्त फेजों में अवमुक्त अतिरिक्त धनराशि का समायोजन अगले फेजों में कराये गये कार्य से किया जायेगा।
2. मुख्य अभियन्ता , पी०एम०जी०एस०वाई० सेल, लो०नि०वि० /ग्रा०अ०से०उ०प्र०, लखनऊ।
3. प्रमुख अभियन्ता , ग्रामीण सड़क लो०नि०वि० उ०प्र० लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई लो०नि०वि० /ग्रा०अ०से०।
5. भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया , मुख्य शाखा , संलग्न सूची के अनुसार जनपद।
6. जिलाधिकारी, संलग्न सूची के अनुसार जनपद।

(नरेन्द्र कुमार )  
वित्त नियंत्रक

उ०प्र०ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

प्रशासनिक मद में पीआईयूज को कालम सं० ४ के अनुसार अवमुक्त की जाने वाली साख सीमा का विवरण

Rs. In Lac				
Sl	PIU Name	पीआईयू को पूर्व में अवमुक्त साख सीमा(पीआईयू के पास दिनांक 31.07.08 को उपलब्ध अवशेष साख सीमा को मिलाकर)	वर्तमान में निर्गत की जाने वाली साख सीमा का विवरण	कुल साख सीमा (कालम सं० 3+4)
1	2	3	4	5
1	Aligarh	17.23836	3.90000	21.13836
2	Azamgarh-2	16.57836	1.60993	18.18829
3	Bagpat	21.23836	4.87964	26.11800
4	Bahraich-1	21.23836	4.04310	25.28146
5	Barabanki-2	15.23836	2.42446	17.66282
6	Barabanki-3	17.23836	1.47245	18.71081
7	Bareilly-1	31.52602	4.04003	35.56605
8	Bulandshar	20.23836	4.56803	24.80639
9	Gaziabad	32.23836	6.06072	38.29908
10	Hardoi-1	16.93836	2.30367	19.24203
11	Hardoi-2	14.73836	2.59386	17.33222
12	J.B.F.Nagar	16.23836	0.83900	17.07736
13	Lakhimpur Kheri-1	16.88836	1.12428	18.01264
14	Mainpuri	17.06936	2.53562	19.60498
15	Mau	16.73836	3.15468	19.89304
16	Moradabad-2	17.23836	1.80945	19.04781
17	Raebareilly-1	18.28601	3.40656	21.69257
18	Raebareilly-2	14.73836	3.78583	18.52419
19	Sant Kabeer Nagar	16.23836	1.14698	17.38534
20	Shahjahanpur,PIU-1	16.98836	2.41886	19.40722
21	Sitapur-2	12.30836	2.94958	15.25794
22	Srawasti	17.23836	1.66801	18.90637
23	Sultanpur-1	22.73836	5.24564	27.98400
24	Unnao-1	24.23836	4.60598	28.84434
25	Aligarh-2	5.00000	1.25202	6.25202
	Total	456.39695	73.83838	530.23533

(Rs seventy three lacs eighty three thousand eight hundred thirty eight only)

19/8/10